



Neutral Citation No.2026:AHC:1406

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-44198 वर्ष 2025

राधिका आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पीयूष पटेल, प्रदीप कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार और राज्य विधि अधिकारी सुश्री इफरा इस्लाम को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-160 वर्ष 2024, बी.एन.एस., थाना-सोनौली, जिला: महाराजगंज की धारा 103(1), 238, 3(5) के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगता है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने पांच अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ सूचनाकर्ता की पत्नी को जबरन अपने साथ ले लिया और उसकी हत्या की और 30.09.2024 को दोपहर लगभग 03:00 बजे उसके शव को छुपाया था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और सह-आरोपी संदीप साहनी, जो उसके बहनोई हैं, के साथ संबंध के कारण प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में लगभग आठ घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि सह-आरोपी संदीप साहनी, गौतम साहनी और सोनू साहनी के निशाने पर शव बरामद किया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक के इंगित करने पर शव बरामद नहीं किया गया है, इसलिए वह ज़मानत की हकदार है।

7. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 05.10.2024 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे में सहयोग करेगी।

8. तत्स्य विपरीत, राज्य के विधि अधिकारी ने ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर भी विवाद करने में असमर्थ है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि शव तीन अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों की ओर इशारा करते हुए बरामद किया गया है, न कि आवेदक के इंगित करने पर, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित लगता है। ज़मानत आवेदन की **अनुमति** है।

10. आवेदक- राधिका, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 5, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)